न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1/137ए/16

बउनवान

1. बण्टी पुत्र कमलसिह जाति राजपूत निवासी बहरामपुर
2. जीतू पुत्र कमलसिंह जाति राजपूत निवासी बहरामपुर
3. मंजू पत्नी कमलसिंह जाति राजपूत निवासी बहरामपुर

तहसील कठूमर जिला अलवर

—— सायलान

बनाम

1. तेजसिंह पुत्र बाबू जाति राजपूत
2. सुरेश पुत्र बाबू जाति राजपूत
3. लोकेश पुत्र लक्ष्मण जाति राजपूत
4. महेश पुत्र जितेन्द्र जाति राजपूत
5. विष्णू पुत्र जितेन्द्र जाति राजपूत
6. विनोद पुत्र जितेन्द्र जाति राजपूत
7. ज्ञानी पुत्री सुगन जाति राजपूत (फौत तर्क)
8. विद्या पुत्री भौंरया जाति राजपूत
9. विक्रम उर्फ बंटी पुत्र सुलतानजाति राजपूत
10. शकुन्तला पुत्री रामसिंह जाति राजपूत

निवासीयान ग्राम बहरामपुर तहसील कठूमर

—— गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

श्री संजय अवस्थी :– अधिवक्ता सायलान

श्री सुभाष 'अर्रूवा' :– अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 ला0 6

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आदेश

दिनांक 17.05.2018

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बरान 696, 687, 689, 690/1, 688, 700, 706, 739, 957, 703, 705, 706/1, 682, 684, 685, 691, 684, 685, 691 वाके ग्राम वहरामपुर तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी धनसिंह पुत्र बलीसिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। धनसिंह सायल सं0 12 के पिता कमलसिंह का सगा भाई था इस कारण सायलान का मृतक धनसिंह की आराजीयात में जन्म से ही हक वो हिस्सा है। धनसिंह लाबल्द विला औरत फौत हो चुका है। जिसके वारिस सायलान तथा गेरसायल संख्या 1 ला010 है तथा उसकी आराजीयात पर मुताविक हिस्सा काविज है। सायल संख्या 1 ला02 के पिता कमलसिंह के एक भाई रतनसिंह और था जो भी लाबल्द विला औरत फौत हुआ है जिसकी सम्पत्ति भी सायलान को ही प्राप्त हुई है। गैरसायल संख्या 1 ला010 का मृतक धनसिंह की आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायल संख्या 1 ला010 सायलान को मृतक धनसिंह की उक्त आराजीयात से वेदखल करना चाहते है तथा अपने नाम विरासत इन्तकाल चढवाना चाहते है। जिसका कि गैरसायलान को कोई हक वो अधिकार नहीं है। गैरसायलान ने सायलान को एलानियां धमकी दी है कि हम तुम्हें विवादित आराजी पर धनसिंह के हिस्से की आराजी पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करेगें। गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगें दीगर मुकदमा बाजी वढेगी। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 696, 687, 689, 690/1, 688, 700, 706, 739, 957, 703, 705, 706/1, 682, 684, 685, 691, 684, 685, 691 वाके ग्राम वहरामपुर में मुताविक हिस्सा कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करने जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने हेतु पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

गैरसायल संख्या 1 ला0 7 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी से सायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। विवादित आराजी में जो धनसिंह का हिस्सा था उसकी वसीयत धनसिंह ने दिनांक 20.10.2003 को गैरसायल संख्या 1 ला06 व विजेन्द्र की पत्नी सरोज के हक में स्टाम्प पेपर पर पढ सुन समझ कर अपने हस्ताक्षर कर नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराकर हमारे हवाले कर दी है। धनसिंह ला बल्द औरत था जिसे अपनी आराजी की वसीयत करने का पूरा पूरा अधिकार था। सायलान व गैरसायल संख्या 7 ला010 का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। मृतक धनसिंह की आराजी पर गैरसायल संख्या 1 ला06 व जितेन्द्र की पत्नी मुताविक हिस्सा काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सायलान व गैरसायल संख्या 7 ला010 का धनसिंह की आराजी से किसी तरह का बास्ता नहीं है और ना कब्जा कभी रहा और ना है। हम गेरसायलान के हक में धनसिंह द्वारा कराई गयी बसीयत की सायलान को पूरी पूरी जानकारी है। जिस वावत सायलान ने एक परिवाद न्यायालय न्यायिक मजि0 साहव कठूमर के न्यायालय में पेश किया जिस पर एफ आई आर दर्ज हुई लेकिन वाद अनुसंधान पुलिस ने मुकदमा झूँठा मानकर एफ आर दी है। वसीयत के आधार पर हम गैरसायलान को इन्तकाल दर्ज कराने का पूरा पूरा हक वो अधिकार है। सायलान ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल किता 6 वाके ग्रामक वहरामपुर की छाया प्रति पेश की हैं जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजीयात में हमारे पूर्वज धनसिंह पुत्र बलीसिंह के नाम दर्ज भूमि में हमने अपने हिस्सा की आराजी की घोषणा कराने का दावा पेश किया है। विवादित आराजी पैत्रिक है कानूनन पैत्रिक आराजी की वसीयत नहीं की जा सकती। वसीयत के आधार पर हक अधिकार दावे में साक्ष्य सवूतों के आधार पर तय होगे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सायलान मुताविक हिस्सा विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे हैं। सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि धनसिंह ना ऑलाद फौत हुआ है जिसका कोई जायन्दा वारिस नहीं है। जो धनसिंह गैरसायलान के साथ रहता था। धनसिंह ने गैरसायल संख्या 1 ला06 के हक में स्वेच्छा पूर्वक सायलान की जानकारी में वसीयत कराई है जिस वसीयत को सायलान ने आज तक चैलेज नहीं किया। धनसिंह की आराजी पर गैरसायल संख्या 1 ला06 काविज रहकर काश्त कर रहे है। सायलान वेकब्जा व्यक्ति है। सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायलान को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :–

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। विवादित आराजी छाया प्रति जमाबन्दी में धनसिंह पुत्र बलीसिंह के नाम मुताविक हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। यह निर्विवाद है कि धनसिंह सायलान व गैरसायलान का वुजुर्ग था और धनसिंह का स्वर्गवास हो गया। गैरसायल संख्या 1 ला06 का कथन कि धनसिंह ने हमारे पक्ष में 100 रूपया के स्टाम्प पेपर पर वसीयत लिख दी थी धनसिंह के मरने के वाद धनसिंह की जायदाद पर हम काविज हो गये। वसीयतनामा की सत्यता की जांच मूल वाद में साक्ष्य सवूत आने पर करना अपेक्षित है। सायलान ने धनसिंह पुत्र बलीसिंह के हिस्सा की आराजी पर घोषणा का दावा किया है। मूल वाद में पक्षकारान के हक हिस्सा व अधिकार तय किये जायेगें। मामला पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

न्यायहित में दावा के निस्तारण तक विवादित आराजी का मूल स्वरूप बनाये रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में प्रवल है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान क्षति व असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फर्माया जाकर दावा के निस्तारण तक गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 696, 687, 689, 690/1, 688, 700, 706, 739, 957, 703, 705, 706/1, 682, 684, 685, 691, 684, 685, 691 वाके ग्राम वहरामपुर तहसील कठूमर के रेकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखें। राजस्व रेकार्ड में किसी तरह का परिवर्तन ना करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर(अलवर)

आज दिनांक 17.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर(अलवर)